सदर कालोनी में पेयजल हेतु ट्यूबवेल कार्यरत रहे है, जिनसे पानी की टंकी के माध्यम से पेयजल का वितरण मेंटेनेंस प्रभारी द्वारा नौकरी पर रखे गये कर्मचारी द्वारा समान रूप से सभी प्लाट होल्डर्स को किया जायेगा। विक्रेतापक्ष के पास उक्त ट्यूबवेल के अलावा पेयजल का अन्य कोई साधन उपलब्ध नही है, यह बात क्रेतापक्ष ने भलीभांति समझ ली है व मान्य की है भविष्य में यदि वर्षा कम हुई या कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा तो विक्रेतापक्ष के विरुद्ध क्रेतापक्ष पानी की समस्या के लिये कोई दावा, झगड़ा, शिकायत नही करेंगे। विक्रेता पक्ष द्वारा पानी का विक्रय नही किया जायेगा। कालोनी के सभी ट्यूबवेल इसी कालोनी के पेयजल हेतु सदैव उपलब्ध रहेंगे।

17.भवन निर्माण के लिये पानी का इंतजाम क्रेतापक्ष को स्वयं के स्रोत से करना होगा।

18.क्रेतापक्ष स्वयं के व्यय से सदर भूखण्ड को अपने नाम पर नामान्तरण करवायेंगे। ग्राम पंचायत व मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जो भी टैक्स व उपकर लगाये जायेंगे अथवा वृद्धि की जायेगी उसे जमा करने का उत्तरदायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा। भविष्य में यदि क्रेता द्वारा विक्रीत भूखण्ड में ट्यूबवेल कराया जाता है तो ट्यूबवेल (बोरिंग) कराने से पूर्व विक्रेता से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी।

19.क्रेतापक्ष अपने भूखण्ड के सामने स्थित कालोनी की सड़क या अन्य खुली जगह पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही कर करेंगे। कालोनी में साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार का प्रदुषण, ध्वनि प्रदुषण, लड़ाई झगड़ा , विवाद नही करेंगे, एक शांतिप्रिय नागरिक के रूप में निवास करेंगे।

20.विक्रेतापक्ष ने कालोनी में सीमेन्ट की सड़के, अंडर ग्राउण्ड ड्रेनेज लाईन, अंडर ग्राउण्ड वाटर लाईन, सम्पवेल, ओव्हरहेड टेंक, बाउण्ड्रीवाल व गेट का निर्माण किया है जो कि शासन के तय निर्देश अनुसार किया गया है और क्रेतापक्ष ने मौके पर जाकर सम्पूर्ण डेवलपमेंट को देखकर पूर्ण संतुष्टि कर ली है। भविष्य में उक्त डेवलपमेंट के रखरखाव, मेंटेनेंस की जवाबदारी कालोनी की मेंटेनेंस कमेटी व प्लाट होल्डर्स की रहेगी। विक्रेतापक्ष ने एक बार अपनी जवाबदारी अनुसार डेवलपमेंट कर दिया है।

21.विक्रेतापक्ष सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने पर कालोनी को स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत या शासन के नियमानुसार सम्बंधित विभाग को हस्तांतरण कर देंगे। इसके साथ ही सभी सड़क, गार्डन व कॉमन उपयोग की जगह को भी शासन को हस्तांतरण कर देंगे। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण खर्च विक्रेतापक्ष ने वहन किया है।

22.हम इस विलेख के निष्पादकगण शपथपूर्वक कथन करते है कि इस विलेख के अंतर्गत अंतरित की जा रही/समाविष्ट सम्पत्ति को हमने या हमारे प्रतिनिधि या समनुदेशिती या हमारे अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या अन्य प्रकार से पूर्व में हस्तांतरित या स्थायी रूप से अंय संक्रांत नही किया गया है और तदनुसार हम उपर्युक्त पैरा में कथित तथ्य का अपनी जानकारी एवं विश्वास से सही है, एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में धारा 22 क में अंत: स्थापित भाग 3 का उल्लंघन नही है, सत्यापित करते है।

MP179102020A1825154 ; 01011707122020012547